न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 163/2026

वीरेन्द्र सिहं यादव पता : 230/12, से. 23 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर पिनकोड 302017 राजस्थान मो.न. 9414441086

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 163/2026 पर दिनांक 07.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1054—55 दिनांक 07.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2026/310 दिनांक 27.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 दिनांक 03.10.2025 इस कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 07.10.2025 को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचना के संबंध में आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई—13/2025/573 दिनांक 14.10.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 दिनांक 03.10.2025 उनके कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 07.10.2025 को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचना के संबंध में आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई—13/2025/573 दिनांक 14.10.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं